छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
आबकारी भवन, छोकरानाला, लभाण्डी, रायपुर, छत्तीसगढ़

—: बीमा निविदा :—

निविदा विज्ञप्ति क्र. / 833, रायपुर, दिनांक 25-09-2024,

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की ओर से IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के पंजीकृत बीमा कंपनियों / कार्पोरेशन से निगम के सिलतरा गोदाम, रायपुर के बीमा हेतु निम्न बिन्दुओं पर निविदा आंमत्रित की जाती है।

1/ Policy for Godown Buildings & Office Insurance

2/ Policy for Fire, Natural Calamities, Theft & Burglary Insurance

बीमा संबंधी निविदा की सेवा शर्ते छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, आबकारी भवन, छोकरानाला, लभाण्डी, रायपुर के वेबसाईट csbc.cg.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक 25 / 10 / 2024 को समय 03:00 बजे तक, एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 4 बजे खोला जावेगा।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
आबकारी भवन, छोकरानाला, लभाण्डी, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492012
दूरभाष मुख्यालय :– 0771– 2992200
CIN : U15520CT2001SGC014869 PAN: AACCC3163B TIN: 22651704157
Website : https://csbc.cg.nic.in,E-mail address : csbcraipur@gmail.com

क्रमांक / सी.एस.बी.सी. / लेखा / 2024–25 / 834, रायपुर, दिनांक :–25-09-2024,

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत संस्था है। निगम राज्य में निर्मित, भारत में निर्मित एवं भारत से बाहर निर्मित विदेशी मदिरा के विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों के विदेशी मदिरा का संग्रहण गोदामों में किया जाता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, के सिलतरा गोदाम, रायपुर के गोदाम भवन, ऑफिस एवं संग्रहित विदेशी मदिरा का बीमा कराया जाना है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1.	Policy for Godown Buildings & Office Insurance	Construction Value : Rs. 11.00 Crore approx.
2.	Fire, Natural Calamities, Theft & Burglary Insurance.	Storage Value : Rs. 60.00 Crore approx.

बीमा निविदा की शर्ते :–

1/ रायपुर में निगम के 04 बड़े गोदाम भवन (each 10000 Sqft Approx.) व 01 छोटा गोदाम भवन(each 6000 Sqft Approx.) है। साथ ही कार्यालयीन भवन (03 कक्ष, 02 सबऑफिस एवं 01 हॉल) एवं पृथक से शौचालय, सुरक्षा कर्मियों हेतु 02 कक्ष एवं 01 जनरेटर कक्ष एवं पंप हाउस भी निर्मित है।

2/ गोदाम एवं कार्यालयीन भवन में किसी भी प्रकार की चोरी, आगजनी एवं प्राकृतिक आपदा (तुफान, भूंकप, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली इत्यादि) एवं दंगा–फसाद के जोखिम को वहन करने वाला बीमा होगा।

3/ गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा के मूल्य में कमी व वृद्धि हो सकती है।

4/ निगम में बीमा हेतु इच्छुक बीमा कंपनियों / कार्पोरेशन का IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority of India) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसके सत्यापन में प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5/ निगम में बीमा हेतु इच्छुक बीमा कंपनियों / कार्पोरेशन का जिला–रायपुर में स्थायी / अस्थायी कार्यालय का होना अनिवार्य है।

6/ निगम में बीमा हेतु सीधे ही बीमा कंपनिया/कार्पोरेशन भाग लेने हेतु पात्र होगी। परंतु BROKERS FARM/COMPANY किसी बीमा कंपनिया/कार्पोरेशन की ओर से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगी।

7/ बीमा कंपनिया/कार्पोरेशन यदि कोई भी शासकीय संस्था या शासकीय उपक्रमों के काली सूची में पंजीबद्ध है, वह इस निगम को बीमा निविदा दिये जाने हेतु अपात्र होगें। इस हेतु निविदा में प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

8/ निगम के संपूर्ण गोदामों में फायर फाईटिंग सिस्टम, सी.सी.टी.वी. कैमरे, डी.जी. सेट, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य कार्यालयीन सामग्री स्थापित है। तद्नुसार बीमा राशि प्रस्तुत किया जावे।

9/ गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी से विदेशी मदिरा की क्रय लागत +निगम का मार्कअप (लाभ) जोड़ कर बीमा दावा किया जावेगा।

10/ गोदाम भवन या कार्यालयीन भवन के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त दिनांक को लागू लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. (S.O.R.) से बीमा दावा किया जावेगा।

11/ निगम की ओर से किये गये दावे का बीमा कंपनी को 02 माह में निराकरण किया जाना होगा। दावा राशि विलंब से देय होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि पर प्रचलित ब्याज देय होगा।

12/ गोदाम का बीमा 01 वर्ष के लिए होगा। संतोषप्रद स्थिति में बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया जा सकता है।

13/ बीमा की देय राशि जी.एस.टी. सहित प्रस्तुत किया जावेगा। एवं दोनों बीमा (Standard Fire & Special Perils + Burglary Policy) के प्रस्तुत दर को जोड़कर न्यूनतम दर निर्धारित किया जावेगा।

14/ प्राप्त निविदा आवेदन कार्यालय छ.ग.स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, आबकारी भवन, छोकरानाला, लभाण्डी, रायपुर में गठित समिति एवं बीमा कंपनियों/कार्पोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

15/ सभी मामलों में न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।

16/ किसी भी बीमा निविदा को मान्य/अमान्य करने का एकाधिकार निगम अर्थात सी.एस. बी.सी.एल. के पास सुरक्षित रहेगा।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर